बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बीसीसीःबीआरः102/168 23.06.2010

भारत स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर
मुंबई , द्वारा जारी

प्रिय महोदय,

विषयः **गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त (कामगार एवं गैर-कामगार) कर्मचारियों को वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति में संशोधन.**

हम अपने परिपत्र संख्या सीओःबीआरः90/03 दिनांक 06.01.98 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से हमने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण संस्थानों आदि द्वारा अयोजित होने वाले गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त (कामगार एवं गैर-कामगार) कर्मचारियों को वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति में संशोधन के बारे में सूचित किया था.

मौजूदा दरों में संशोधन के प्रस्ताव को, दिनांक 21.06.2010 को आयोजित बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया. अब हम सहर्ष सूचित करते हैं कि बोर्ड ने वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी मौजूदा दरों में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है. संशोधित दरें निम्नानुसार हैं -

केन्द्र	मौजूदा	संशोधित
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद	वास्तविक खर्च किन्तु अधिकतम 80/- रूपए प्रति कार्य-दिवस	वास्तविक खर्च किन्तु अधिकतम 125/- रूपए प्रति कार्य-दिवस
अन्य सभी केन्द्र	वास्तविक खर्च किन्तु अधिकतम 50/- रूपए प्रति कार्य-दिवस	वास्तविक खर्च किन्तु अधिकतम 75/- रूपए प्रति कार्य-दिवस

नोटः

1. वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए उपरोक्त संशोधित दरें बीपीएस /बीओबीओएसआर में निर्धारित दैनिक/विराम भत्ता के अलावा होंगी.
2. ये दरें उन निरीक्षण/जांच अधिकारियों के लिए भी लागू हैं जो मुख्यालय से बाहर ऑन ड्यूटी होंगे.
3. ऐसे अधिकारी जो अन्य संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनार एवं कार्यशालाओं में प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं, उन्हें भी उपरोक्त दरों पर वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

उपरोक्त दरें 01.07.2010 से प्रभावी होंगी. अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपनी शाखा/कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों को अवगत कराएं तथा इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें.

भवदीय,

ह0/-

(ओ.एस. पिल्लै)
महाप्रबंधक
(मा.सं. एवं मार्केटिंग)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

BCC/BR/102/168 22.06.2010

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

ISSUED BY :
HRM DEPARTMENT
BARODA CORPORATE CENTRE
MUMBAI

Dear Sir,

Re.: **Review of conveyance reimbursement to employees (Workmen & Non-Workmen) deputed to Non-residential training programmes.**

We request reference to our Circular no. CO.BR.90/03 dated 06.01.98 informing about the revision in the conveyance reimbursement to employees (Workmen & Non-Workmen) deputed to Non-residential training programmes at different Training Centres, Training Institutions, etc.

The issue of revision in the existing rates was put up to the Board in its meeting held on 21.06.2010 and we are pleased to inform that the Board has approved revision in the existing rates of reimbursement of conveyance expenses. The revised rates are as under :-

Centre	Existing	Revised
Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad	Actual expenses subject to maximum of Rs. 80 per working day	Actual expenses subject to maximum of Rs. 125 per working day
At all other centres	Actual expenses subject to maximum of Rs. 50 per working day	Actual expenses subject to maximum of Rs. 75 per working day

NOTE :

1. The above revised rates of reimbursement of conveyance expenses shall be in addition to Diem / Halting allowance as per BPS / BOBOSR.
2. These rates are also applicable to Inspecting / Investigating officers who are on duty outside their Headquarters.
3. *Officers who are deputed for Non-residential training organized by other Institutions /* Organizations as well as those who attend Seminars and Workshops as participants would also be reimbursed conveyance expenses at the aforesaid revised rates.

The above rates shall be effective w.e.f. 01.07.2010. <u>All the other terms and conditions continue to be in force.</u>

Kindly bring the contents of this circular to the notice of all staff members of the Branch / Office and also display a copy on the Notice Board.

Yours faithfully,

(O.S. PILLAI)
GENERAL MANAGER
(HR & MARKETING)

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051, India.
फोन/Phone 91 22 66985000, फैक्स /91 22 26523514, वे/web : www.bankofbaroda.com